

बिहार सरकार

कृषि विभाग,

पत्र संख्या-3/कृ0 बजट-आवंटन-18/2015-
प्रेषक,

64(आवंटन) /कृ0, पटना, दिनांक 07-07-2015

रामजी सिंह,

सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

Fax/Mail

जिला कृषि पदाधिकारी, पटना/नालंदा/भोजपुर/बक्सर/ रोहतास/कैमूर/गया
/जहानाबाद/अरवल/नवादा/औरंगाबाद /सारण/सिवान/गोपालगंज/ मुजफ्फरपुर /
पूर्वी चम्पारण/प०चम्पारण/सीतामढ़ी/शिवहर/वैशाली/दरभंगा/मधुबनी/समस्तीपुर /
बेगुसराय/ मुंगेर /लखीसराय/शेखपूरा/जमुई/भागलपुर /बाँका/सहरसा/ सुपौल/
मधेपुरा/ पूर्णियाँ/ किशनगंज/अररिया/कटिहार/खगड़िया।

विषय:

कृषि रोड मैप के अधीन अनुदानित दर पर विभिन्न फसलों के प्रमाणित बीज वितरण अंतर्गत वर्ष 2010-11 से वर्ष 2014-15 तक के वितरित बीज के लम्बित अनुदान राशि भुगतान हेतु 3286.93 लाख रु० (बत्तीस करोड़ छियासी लाख तिरानवे हजार रु०) मात्र के अधीन अनुसूचित जाति वर्ग के लाभुकों के लिए 525.91 लाख रु० (पाँच करोड़ पच्चीस लाख एकानवे हजार रु०) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु कुल ₹5,25,91,000 (पाँच करोड़ पच्चीस लाख एकानवे हजार रु०) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-9/उपा०/बीज (अनुदान)-15/2015 - 3148 दिनांक-25.06.2015 द्वारा कृषि रोड मैप के अधीन अनुदानित दर पर विभिन्न फसलों के प्रमाणित बीज वितरण अंतर्गत वर्ष 2010-11 से वर्ष 2014-15 तक के वितरित बीज के लम्बित अनुदान राशि भुगतान हेतु 3286.93 लाख रु० (बत्तीस करोड़ छियासी लाख तिरानवे हजार रु०) मात्र के अधीन अनुसूचित जाति वर्ग के लाभुकों के लिए 525.91 लाख रु० (पाँच करोड़ पच्चीस लाख एकानवे हजार रु०) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। इस स्वीकृति राशि के अन्तर्गत व्यय हेतु कुल ₹5,25,91,000 (पाँच करोड़ पच्चीस लाख एकानवे हजार रु०) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त कुल ₹5,25,91,000 (पाँच करोड़ पच्चीस लाख एकानवे हजार रु०) मात्र की निकासी बजट-शीर्ष 2401-फसल कृषि-कर्म-उपमुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-माँग संख्या-1 -उपशीर्ष- 0117- बीज उत्पादन कार्यक्रम विपत्र कोड-P2401007890117, राज्य योजना स्कीम कोड-AGR-50 15, के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में विषयशीर्ष 3301 सब्सिडी में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-5294 दिनांक-17.06.2015 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्यय पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरत बाद टी० भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अद्योहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

रामजी

विश्वासभाजन,

रामजी सिंह

(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।
कृषि विभाग बिहार पटना।

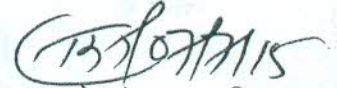
ज्ञापांक

64(भावंन)

/कृ0, पटना, दिनांक 07-07-2015

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार पटना को विवरणी सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. विवरणी सहित संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव।
कृषि विभाग बिहार पटना।

ज्ञापांक

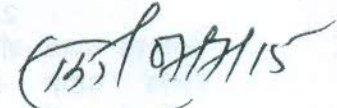
64(भावंन)

/कृ0, पटना, दिनांक 07-07-2015

प्रतिलिपि : वित्त विभाग बिहार, पटना/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/ निदेशक, उद्यान बिहार, पटना/निदेशक पी0पी0एम0 बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार पटना/अपर कृषि निदेशक, (प्रसार) बिहार पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार, राज्य बीज निगम, पटना/कुलपति, रांकृ०वि०वि०, पूसा, समस्तीपुर/कुलपति, बि०कृ०वि०वि०, सबौर, भागलपुर/निदेशक, बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/संयुक्त निदेशक, (शष्य), योजना बिहार पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/संयुक्त निदेशक (शष्य), पाट पूर्णियाँ/सभी उप निदेशक, (शष्य) प्रक्षेत्र/उप निदेशक, (शष्य), बीज बिहार पटना/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी योजना शाखा (सचिवालय एवं कृषि निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को विवरणी सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप निदेशक (शष्य) सूचना / आई. टी. मैनेजर बिहार, पटना को विवरणी सहित विभागीय वेबसाइट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी तथा संबंधित कोषागार पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।





सरकार के संयुक्त सचिव।
कृषि विभाग, बिहार, पटना।



विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3148 दिनांक-25.06.2015 द्वारा (अनुसूचित जाति वर्ग के लिए) कृषि रोड मैप के अधीन अनुदानित दर पर विभिन्न फसलों के प्रमाणित बीज वितरण अंतर्गत वर्ष 2010-11 से वर्ष 2014-15 तक के वितरित बीज के लम्बित अनुदान मद की जिलावार राशि की आवंटन विवरणी।

विपत्रकोड-P2401007890117

(राशि रुपये में)

क्रम सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	आवंटित राशि
1	2	3
1	जिला कृषि पदाधिकारी, पटना।	21,89,000
2	जिला कृषि पदाधिकारी, नालन्दा।	3,27,000
3	जिला कृषि पदाधिकारी, भोजपुर।	5,73,000
4	जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर।	9,90,000
5	जिला कृषि पदाधिकारी, रोहतास।	16,68,000
6	जिला कृषि पदाधिकारी, कैमूर।	9,07,000
7	जिला कृषि पदाधिकारी, गया।	7,49,000
8	जिला कृषि पदाधिकारी, जहानाबाद	1,95,000
9	जिला कृषि पदाधिकारी, अरवल	1,56,000
10	जिला कृषि पदाधिकारी, नवादा।	7,46,000
11	जिला कृषि पदाधिकारी, औरंगाबाद	2,97,000
12	जिला कृषि पदाधिकारी, भागलपुर।	14,70,000
13	जिला कृषि पदाधिकारी, बाँका।	1,22,000
14	जिला कृषि पदाधिकारी, मुंगेर।	1,48,000
15	जिला कृषि पदाधिकारी, जमुई।	4,43,000
16	जिला कृषि पदाधिकारी, लखीसराय।	5,53,000
17	जिला कृषि पदाधिकारी, शेखपुरा।	1,06,000
18	जिला कृषि पदाधिकारी, सारण।	27,31,000
19	जिला कृषि पदाधिकारी, सिवान।	20,86,000
20	जिला कृषि पदाधिकारी, गोपालगंज।	23,09,000
21	जिला कृषि पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर।	73,81,000
22	जिला कृषि पदाधिकारी, वैशाली।	47,52,000
23	जिला कृषि पदाधिकारी, सीतामढ़ी।	28,42,000
24	जिला कृषि पदाधिकारी, शिवहर।	7,81,000
25	जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण।	11,78,000
26	जिला कृषि पदाधिकारी, प० चम्पारण।	3,10,000
27	जिला कृषि पदाधिकारी, दरभंगा।	25,20,000
28	जिला कृषि पदाधिकारी, मधुबनी।	31,50,000
29	जिला कृषि पदाधिकारी, समस्तीपुर।	28,25,000
30	जिला कृषि पदाधिकारी, बेगुसराय।	20,95,000
31	जिला कृषि पदाधिकारी, सहरसा।	10,05,000
32	जिला कृषि पदाधिकारी, सुपौल।	9,41,000
33	जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा।	16,04,000
34	जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया।	7,20,000
35	जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्णियाँ।	10,14,000
36	जिला कृषि पदाधिकारी, किशनगंज।	1,75,000
37	जिला कृषि पदाधिकारी, अररिया।	2,34,000
38	जिला कृषि पदाधिकारी, कटिहार।	2,99,000
	कुल	5,25,91,000
कुल-(पाँच करोड़ पच्चीस लाख एकानवे हजार ००) मात्र।		

(सम)

(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

मात्र